APP-A
Crim-I

2015/00405

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

मोहन बनाम राजेन्द्र सिंह आदि

किस्म मुकदमा प्रा० ५४ धारा २१२ रा० अधि० नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/9/15	वकील प्रार्थी मय प्रार्थी मोहन द्वारा धारा 212 रा अधि० के तहत पेश किया। हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के हक में न्यायसंगत है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 3/11/15 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद सं० 02 में वर्णित आराजियात वाके ग्राम नगला तहसील बयाना में प्रार्थी के उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थी को जबरन कब्जे से नहीं रोकें। लट्ठ के बल पर नाजायज कब्जा नहीं करें। डौल मेंडों को नहीं तोड़ें, विवादित आराजी की यथास्थिति बनाए रखें। इस बाबत कोई उज्र हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उप० हो। प्रकरण दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 3/11/15 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (बयाना)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/9/17	प्रकरण पेश हुआ। पुकार कराई गई। प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी को न्यायालय द्वारा कई बार-2 आवाज लगवाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थीगण पक्ष प्रार्थी (वकील) प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी की अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। ~~पत्रावली~~ फैसल होकर नतीजा दर्ज हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	